न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष— आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी पकरण कमांक 114—तीन/10 विरूद्ध आदेश, दिनाक 19—3—2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 17/पुर्न0/08—09.

सुखपत कुमारी पुत्री स्व0 श्री राधेश्याम सिंह
निवासी ग्राम मरूहा, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1 म0 प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार
तहसील व जिला सिंगरौली म0 प्र0
2 कृष्णनारायण सिंह पिता भगवत सिंह
निवासी भरूहा, तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली म0 प्र0
3 रमाशंकर सिंह पिता भगवत सिंह
निवासी भरूहा तहसील व जिला सिंगरौली
4 रामचन्द्र सिंह पिता मानिक सिंह
निवासी माजनखुर्द, तहसील सिंगरौली
जिला सिंगरौली
5 राजेश कुमार उर्फ अजय कुमार पिता राज कुमार सिंह
निवासी नादो, तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली
6 कुन्जल सिंह पिता मितरजीत सिंह
निवासी रौदी, तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली म0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री डी0 एस0 चौहान, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2 से 6

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/12/2015 को पारित)

यह प्रकरण रेस्टोरेशन/1224–दो/15, पूर्व निगरानी प्रकरण कमांक 114–तीन/10 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, रीवा के प्रकरण कमांक 17/पुर्न0/08–09 में पारित आदेश दिनांक 19–3–2009 के विरूद्ध दायर हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । सुखपत कुमारी के अनुसार विवादित भूमि राजा देवेन्द्र प्रताप सिंह चन्देल रियासत रीवा के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी । जो कि सम्वत 2008 में राजा देवेन्द्र प्रताप सिंह रियासत रीवा द्वारा राधेश्याम सिंह पुत्र उदयभान सिंह को स्थाई पट्टे पर दी जाकर, मौके पर कब्जा दिया गया । पट्टेदार राधेश्याम सिंह की मृत्यु के बाद से मृतक की पुत्री सुखपत कुमारी आवेदिका मौके पर काबिज होकर, काश्त करती आ रही है । पट्टेदार राधेश्याम की मृत्यु के बाद तहसीलदार सिंगरौली द्वारा प्रकरण कमांक 18/अ–74/74–75 में पारित आदेश दिनांक 25–2–76 में विवादित भूमियां वैध वारिस सुखपत कुमारी के नाम शासकीय अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश दिया गया । आवेदिका को जानकारी होने पर तहसीलदार के आदेश दिनांक 25–2–76 का अमल शासकीय अभिलेख में नहीं किया गया है । उसके द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार सिंगरौली के न्यायालय में पेश किया जाकर आदेश दिनांक 9–4–07 को निरस्त कर दिया गया । तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 9–4–07 के खिलाफ आवेदिका द्वारा अपर कलेक्टर बैढ़न के समक्ष निगरानी आवेदन कमांक 209/06–07 पेश किया गया । जिसे आदेश दिनांक 16–10–07 द्वारा निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 16–10–07 से परिवेदित होकर आवेदिका द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 98/07–08 अपर आयुक्त रीवा के समक्ष पेश की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 30–1–08 के द्वारा आवेदिका की निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार व अपर कलेक्टर के आदेश निरस्त किये गयें । तथा यह आदेश दिया गया कि "तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि कलेक्टर सीधी द्वारा जारी स्थाई आदेश दिनांक 26–8–04 के आदेशानुसार विवादित आराजियों पर आवेदिका की इत्तिलायाबी की जायें ।" अपर आयुक्त, रीवा के आदेश दिनांक 30–1–08 के पालन में आवेदिका सुखपत कुमारी द्वारा दिनांक 31–1–08 को तहसीलदार के समक्ष इत्तिलायाबी बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया ।

परन्तु तहसीलदार द्वारा अपर आयुक्त रीवा के आदेश का पालन न करने पर आवेदिका सुखपत कुमारी द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष आदेश का पालन कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार को आदेश दिनांक 30–1–08 का पालन सुनिश्चित करने व पालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर न्यायालय को प्रस्तुत करना आदेशित किया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30–1–08 के क्रियान्वयन में जब तहसीलदार न्यायालय द्वारा विलंब किये जाने पर आवेदिका द्वारा एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में पेश की गई, जिसके नोटिस की तामीलें तहसीलदार व कलेक्टर सिंगरौली पर हो जाने के बाद तहसीलदार सिंगरौली द्वारा एक पुनर्विलोकन आवेदन अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जिसमें पारित आदेश दिनांक 19–3–09 से प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जिसके विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हुई।

3/ मेरे द्वारा प्रकरण में विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गए । निगराकार अधिवक्ता ने अपने तर्कों में ऊपर बताए बिन्दुओं को दोहराते हुए यह कहा कि अपर आयुक्त के समक्ष पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 17/08–09, अपर आयुक्त के पूर्व प्रकरण क्रमांक 98/निगरानी/07–08 में पारित आदेश दिनांक 30–1–08 के बाद एक वर्ष से भी अधिक विलंब उपरान्त दिनांक 28–2–09 को पेश किया गया है, तथा निगराकार के विरूद्ध तहसीलदार की आपसी रंजिश से प्रेरित है, अतः आक्षेपित आदेश दिनांक 19–3–09 निरस्त किया जाए । गैर निगराकार–1 म0 प्र0 शासन के अधिवक्ता ने कहा कि निगराकार केवल प्रकरण को विलंबित करने के लिये राजस्व मण्डल में आया है, जबकि उसके पास अपर आयुक्त के समक्ष अपनी बात कहने का अवसर उपलब्ध है, अतः राजस्व मण्डल का यह प्रकरण खारिज किया जाए ।

4/ निगराकार ने माननीय उच्च न्यायालय की रिट पिटीशन 12816/2008 में पारित आदेश दिनांक 3–9–15 की प्रति भी प्रस्तुत की, जिसमें लिखा है कि वे आवेदक (राजस्व मण्डल में निगराकार) की क्लेम के गुणदोष पर कोई अभिमत दिए बगैर यह निर्देश देते हैं कि कलेक्टर सर्वसंबंधितों (विशेषकर निजी उत्तरवादियों) को सुनने के बाद निर्णय लें, तथा यदि कलेक्टर को किसी कारण से यह लगता है कि अपर आयुक्त द्वारा (दिनांक 30–1–08 को)

पारित नामांतरण के आदेश का पालन नहीं कराया जा सकता, तो कलेक्टर को ऐसा आवेदक को संसूचित करना होगा, तथा उन्हें यह उच्च न्यायालय के इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के दो माह के भीतर करना होगा ।

5/ तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–2–09 को अपर आयुक्त को प्रकरण क्रमांक 17/पुर्न0/08–09 में पुनर्विलोकन हेतु भेजे गए आवेदन में यह लिखा गया है कि विषयांकित भूमियां शासकीय अभिलेख में म0 प्र0 शासन दर्ज है, उस पर आवेदिका का कब्जा ना होकर अन्य व्यक्तियों का अवैध कब्जा है, उस भूमि का अंश भाग भारत सरकार के नोटिफिकेशन एस0ओ0660 दिनांक 4–2–1982 से अधिग्रहित किया जा चुका है, तथा अपर कलेक्टर सिंगरौली ने निगरानी प्रकरण क्रमांक 209/निग0/06–07 में पारित आदेश दिनांक 16–10–07 से आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किया है । इस आवेदन के आधार पर अपर आयुक्त ने अपने न्यायालय में कार्यवाही प्रारंभ की, जिस दौरान राजस्व मण्डल में मांग आने पर उन्होंने प्रकरण राजस्व मण्डल भेज दिया ।

6/ प्रकरण में पूर्ण विचारोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि पूर्ववर्ती पैरा 5 मे लिखे बिन्दुओं के प्रकाश में तहसीलदार द्वारा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30–1–08 का पालन ना कर निगराकार के पक्ष में तत्काल नामांतरण नहीं करने के कुछ कारण रहे हो सकते हैं । ऐसे में मैं यह निर्देश देता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 3–9–15 के पालन में कलेक्टर सर्वसंबंधितों को (विशेषकर निजी उत्तरवादियों) को सुनने के बाद निर्णय लें, तथा यदि कलेक्टर को ऐसा लगता है कि अपर आयुक्त द्वारा (दिनांक 30–1–08 को) पारित नामांतरण के आदेश का पालन नहीं कराया जा सकता, तो माननीय उच्च न्यायालय का यह आदेश प्राप्त हो जाने के दो माह के भीतर, कलेक्टर आवेदक को संसूचित करें ।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के फलस्वरूप, यदि कलेक्टर को ऐसा लगता है कि निगराकार के पक्ष में विषयांकित भूमि पर नामांतरण होना चाहिए, तो वे विवेचना एवं कारण अभिलिखित कर, अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30–1–08 का पालन कराए, जिसके साथ ही अपर आयुक्त न्यायालय का प्रकरण क्रमांक

17/पुर्न0/08–09 समाप्त माना जाए । इसके विपरीत यदि कलेक्टर को ऐसा लगता है कि विषयांकित भूमि पर निगराकार के पक्ष में नामांतरण नहीं होना चाहिए, तो भी वे विवेचना एवं कारणों सहित अपना निष्कर्ष स्पष्ट बोलते स्वरूप में अभिलिखित कर, उसे अपने प्रस्ताव के संलग्न कर अपर आयुक्त को भेजें तथा उन्हें (अपर आयुक्त को) उनके न्यायालय के विषयांकित प्रकरण कमांक 17/पुन/08–09 में उसे विचार में लेकर आदेश पारित करने हेतु निवेदन करें। कलेक्टर द्वारा इस प्रकार अपना निर्णय पारित या प्रस्ताव प्रेषित किये जाने तक अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 30–1–08 प्रभावहीन रहेगा एवं उनके प्रकरण कमांक 17/पुन/08–09 की कार्यवाही लंबित रहेगी ।

आदेश पारित ।
प्रकरण समाप्त ।
पक्षकारगण, अपर आयुक्त, रीवा एवं कलेक्टर सिंगरौली सूचित हों ।
समयबद्ध कार्यवाही हो ।
अभिलेख वापस हों ।
दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर